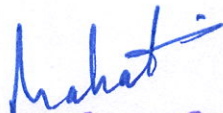


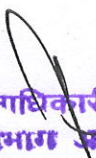
NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम :- न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण।

माननीय हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत के भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिस हेतु नगर पालिका परिषद चिलियानौला रानीखेत के अन्तर्गत तथा उसके समीप न्यायालय के भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि की तलाश की गई। न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत न्यायालय भवनो के निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद चिलियानौला रानीखेत के समीप आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण न्यायालय के भवनो के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें 0.980 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है।


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


सिविल जज (जू0डि0), रानीखेत
अल्मोड़ा


उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत रेंज,
अल्मोड़ा वन प्रभाग


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.